रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 21 फरवरी 2026 ई० (फाल्गुन 02, 1947 शक संवत्) [संख्या 08

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	83–86	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	109–122	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	3–4	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	503-544	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

समाज कल्याण विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति / विज्ञप्ति

01 जनवरी, 2025 ई0

सं0 2242 / 26-1-2024 / 1637071—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-डी-1 / ई-1 / 2024 विभाग संख्या-एस-4- / 01 के अन्तर्गत क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर (वेतन बैण्ड रु0 9,300-34,800/- ग्रेड पे-4,600/-) सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 रु0 44,900-1,42,400/- के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता / पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री अंकुर कुमार पाण्डेय पुत्र श्री अवधेश कुमार पाण्डेय	बहराइच (उ0प्र0)	स्थायी पता / पत्र व्यवहार का पता— ग्राम-भूपानी, पोस्ट-जगतापुर, तहसील-कैसरगंज, जिला-बहराइच (उ0प्र0)। पिन-271872	कार्यालय राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, अष्टम तल, जवाहर भवन, लखनऊ। पिन—226001

2— श्री अंकुर कुमार पाण्डेय को क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1)— श्री अंकुर कुमार पाण्डेय कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र कार्यालय राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही है।

(2)—यदि श्री अंकुर कुमार पाण्डेय द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार / दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री पाण्डेय द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अनुसार अन्य दाण्डिक / सिविल / विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3– ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4– यह भी निर्देशित किया जाना है कि श्री पाण्डेय नियमानुसार निम्न प्रमाण पत्र कार्य-भार ग्रहण करते समय कार्यालय राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1)– चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2)– एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये) ऐसे पुरूष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3)– शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(4)– चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो।

5– यदि नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर श्री अंकुर कुमार पाण्डेय अपनी उपस्थिति की सूचना राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नहीं देते है तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6– राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7– राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु कार्यालय राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्य-भार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

डा0 हरिओम,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

13 फरवरी, 2025 ई0

सं0 2143/26-1-2024/1852824–श्री रामलोटन राजवंशी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर दिनांक 04 अगस्त, 2006 को राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत योगदान किया गया। वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था. को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा पात्र कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप जारी किया गया है।

2– उक्त के क्रम में राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1671 पी0पी0/26-68/2006 दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के विज्ञापन

संख्या-03/2003-2004 दिनांक 12 जुलाई, 2003 के द्वारा क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के 01 पद का अधियाचन विज्ञापित किया गया था. क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर उनका चयन/नियुक्ति उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष समाज कल्याण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-2490/26-1-05-10जी (6)/87 दिनांक 04 अगस्त, 2006 द्वारा हुई है, जिसके क्रम में क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर दिनांक 07 अगस्त, 2006 को कार्य-भार ग्रहण किया गया है। श्री राजवंशी को NPS, PRAN-110002045074 के अन्तर्गत कवर भी किया गया। श्री रामलोटन राजवंशी द्वारा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के क्रम में निर्धारित विकल्प प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

3– अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राम लोटन राजवंशी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0, जिनका NPS, PRAN-110002045074 है, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–47 हिन्दी गजट–भाग 1–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 फरवरी, 2026 ई० (फाल्गुन 02, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

22 जनवरी, 2025 ई0

सं0 684/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2024-25)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा- 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम- 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ- 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	अमरपुर ग्राम सभा अमरपुर	584/4 मि0	4.047 में से 0.810 हेक्टेयर	श्रेणी 6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो, पत्थर	राज्य कर कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु राज्य कर विभाग के पक्ष में भूमि निःशुल्क पुर्नग्रहीत।

19 मार्च, 2025

सं0 1086/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2024-25)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा- 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम- 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	तालबेहट	बानपुर	पुलवारा	3मि0	17.989 हेक्टेयर	श्रेणी 6-4 पत्थर	सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पुर्नग्रहीत

सं0 1087/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2024-25)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा- 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम- 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ- 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	झरर	65मि0	0.809	श्रेणी 5-3-ड़	सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पुर्नग्रहीत
					65	1.772	श्रेणी 6-4	
					65मि0	0.085	श्रेणी 6-4	
					65मि0	0.206	श्रेणी 6-4	
					65मि0	0.609	श्रेणी 6-4	
					योग. .	**3.481**		

अक्षय त्रिपाठी,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

13 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 638/12ए-डी0एल0आर0सी0/2024-25/पुर्नग्रहण/ऊर्जा स्रोत–उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-डुमरई तहसील गरौठा के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	गरौठा	गरौठा	डुमरई	291	27.761	बेहड़ श्रेणी-6(4)	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
					494	18.923		
					496	10.271		
					499	25.014		
					547घ	18.219		
					559ख	0.121		
					637ढ़	40.870		
					638	8.296		
					653मि	4.315		
					654क	1.323		
					655ख	10.906		
					656ख	17.607		
					657	33.023		
					663ख	14.496		
					664क	4.589		
					665ख	1.335		
					679क	2.451		
					684	3.335		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	गरौठा	गरौठा	डुमरई	686क	7.576	बेहड़ श्रेणी-6(4)	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
					688	8.094		
					689क	1.586		
					701ख	0.470		
					703	9.065		
					704	21.804		
					711	0.275		
					712ख	6.677		
					713ग	10.522		
					733	28.664		
					734ख	1.614		
					736	5.694		
					738	19.684		
					739ख	0.300		
					745ग	1.279		
					746	1.516		
					747 ख	10.247		
					753क	28.830		
					767	1.303		
					769	8.661		
					782	3.424		
					790ग	0.838		
					791	25.657		
					792	6.046		
					836	0.040		
					837	0.433		
					838क	0.283		
					842ख	0.405		
					937क	0.368		
					993	0.032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
					994ग	0.024	बेहड़	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
					995	0.057	श्रेणी-6(4)	
					1008मि	0.190		
					1063ख	0.061		
					1068ख	0.186		
					935क	0.441		
					291	0.145	बंजर श्रेणी-5(3)ड़	
					737.	0.809		
					800	0.093		
					801ख	0.445		
					291क	1.466	नई परती श्रेणी-5(1)	
					493	1.346		
					493	0.810		
					681मि	0.070		
					683	0.061		
					689/2	0.425		
					689क	0.769		
					908	0.619		
					972	0.799		
					योग. .	**463.058**		

जनपद झाँसी में उत्तर प्रदेश राज्य विधुत उत्पादन निगम लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 ग्रीन इनर्जी लि0 को सौर ऊर्जा परियोजना हेतु कार्यालय पत्र संख्या-558/प्र0नि0/उनिलि/वाणिज्य/आर0ई0 पावन, दिनाँक 17 अक्टूबर, 2024 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-4215/यूपीनेडा-एसई-ओपेन एक्सेस/2024 उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनॉक 23 अक्टूबर, 2024 के दृष्टिगत उपरोक्त सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश को ग्राम डुमरई, तहसील गरौठा में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनाँक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनाँक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 463.058 हे0 (1144.24 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 1144.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800–अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व 0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

06 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 677/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित मौजा राजापुर तहसील व जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	राजापुर	402	0.227	श्रेणी-6(1) नाला के स्थान पर श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	30 राजापुर	0.514	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6(1) नाला
				443	0.287				
				472	0.053				
				782	0.247				
				944	0.049		37	0.514	
				1703	0.085		68मि	0.259	
				2091	0.202				
				योग. .	**1.150**		**योग. .**	**1.287**	

06 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 678/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ- 5 में उल्लिखित ग्राम-बदनपुर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बदनपुर	136	0.623 में से 0.455	श्रेणी-5(1) कृषि योग्य बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					378	0.692		
					499	0.287		
					योग. .	**1.434**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम बदनपुर, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 679/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-किल्चवारा बुजुर्ग तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	किल्चवारा बुजुर्ग	408मि	0.020	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					437	0.125		
					योग. .	**0.145**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम किल्चवारा बुजुर्ग, तहसील-झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 680/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25–बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-राजापुर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	राजापुर	140	0.105	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					170	0.012		
					181	0.045		
					239	0.040		
					268	0.247		
					269	0.028		
					270	0.125		
					401	0.044		
					496	0.125		
					605	0.178		
					607	0.130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	राजापुर	622मि	0.009	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					696	0.036		
					733	0.125		
					1000मि	0.004		
					1037	0.462		
					1278	0.048		
					1343	0.065		
					1422	0.218		
					1699	0.182		
					2036	0.154		
					2047	0.210		
					योग. .	**2.592**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम राजापुर, तहसील-झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

09 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 683/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-किल्चवारा बुजुर्ग तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	किल्चवारा बुजुर्ग	207	0.117	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					219	0.061		
					237	0.134		
					243	0.178		
					294	0.154		
					353	0.150		
					363	0.028		
					641	0.093		
					642	0.057		
					654	0.016		
					671	0.049		
					674	0.085		
					677	0.085		
					678	0.089		
					679	0.146		
					276/798	0.113		
					योग. .	**1.555**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम किल्चवारा बुजुर्ग, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

17 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 712/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-

32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बसाई तहसील-झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बसाई	701	0.457 हेक्टेयर	श्रेणी-6(4) पत्थर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम बसाई, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

26 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 733/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-किल्चवारा खुर्द तहसील-झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	किल्चवारा खुर्द	126	0.040	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					156	0. 065		
					170	0.053		
					171	0.045		
					172	0.113		
					174	0.312 में से 0.244		
					260	0.073		
					268	0.040		
					269	0.020		
					281	0.105		
					303	0.028		
					311	0.077		
					336	0.449		
					368	0.846		
					369	0.085		
					373	0.012		
					375	0.073		
					393	0.478		
					402	0.073		
					415	0.032		
					416	0.012		
					158/3/355मि0	0.065		
					222/2	0.012		
					249मि0	0.419 में से 0.395		
					307मि0	0.073		
					344मि0	0.020		
					355मि0	0.065		
					362मि0	0.040		
					377मि0	0.345		
					399मि0	0.141		
					योग. .	**4.186 में से 4.094**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड

औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम किल्चवारा खुर्द, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

28 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 736/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25–बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-बसाई तहसील-झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बसाई	699मि0	0.300	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					307	0.077		
					516	0.123		
					224	0.113		
					284	0.080		
					363	0.140		
					640	0.069		
					99मि0	0.024		
					198	0.192		
					207	0.032		
					283	0.049		
					128	0.056		
					806	0.158		
					योग. .	**1.413**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम बसाई, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 737/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25–बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-सारमऊ तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सारमऊ	93	0.186	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					94	0.332		
					214	0.036		
					720	0.710		
					योग. .	**1.264**		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि-ग्राम-सारमऊ, तहसील-झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनाँक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

अविनाश कुमार,
जिलाधिकारी, झाँसी।

पी0एस0यू0पी0–47 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 फरवरी, 2026 ई० (फाल्गुन 02, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ
जिला पंचायत बस्ती

संशोधित उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा-239 (2) में दी गयी व्यवस्थानुसार जिला पंचायत बस्ती द्वारा जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी स्थान अथवा सार्वजनिक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि संख्या– 2559–62/तेइस–07/2010–10 उत्तर प्रदेश गजट 18 अगस्त, 2012 ई0 में बनायी गयी थी, जिसके क्रम में पूर्व प्रचालित उपविधि में विभिन्न प्रकार के (15) नये व्यवसायों के लाईसेन्स शुल्क लगाये जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत बस्ती के बोर्ड की बैठक दिनांक 06 जुलाई, 2024 प्रस्ताव संख्या–05 द्वारा पारित किया गया है।

नये व्यवसाय को उपविधि में सम्मिलित किये जाने का विवरण

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	लाईसेन्स का प्रस्तावित दर
		रूपये
01.	प्राइवेट शिक्षण संस्थान	5,000.00
02	इस्टिटयूट इंजीनियरिंग कालेज	10,000.00
03	प्राइवेट हास्पिटल	7,000.00
04	पैथोलाजी एवं एक्सरे क्लीनिक	3,000.00

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	लाईसेन्स का प्रस्तावित दर
		रूपये
05	गैस ऐजेन्सी	3,000.00
06	कैटरिंग	2,000.00
07	शापिंग माल	7,000.00
08	टायर विक्रेता (सभी प्रकार के)	1,000.00
09	टोल प्लाजा	5,000.00
10	प्राइवेट डिग्री कालेज	5,000.00
11	प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल	2,000.00
12	प्राइवेट इण्टर कालेज	3,000.00
13	हाट मिक्स प्लाण्ट	15,000.00
14	पशु आहार	1,000.00
15	आर्किटेक (वस्तुकार)	5,000.00

उपरोक्त प्रस्तुत विवरण व उक्त उपविधि में विलम्ब शुल्क एवं दण्ड का प्रविधान पूर्व में लागू उपविधि के अनुसार यथावत रहेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
बस्ती मण्डल, बस्ती।

पी0एस0यू0पी0—47 हिन्दी गजट—भाग 3—2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 फरवरी, 2026 ई० (फाल्गुन 02, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

नगर निगम, प्रयागराज

16 फरवरी, 2026

सं0 डी०–858/मु०क०नि०अधि०/2026–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मा० सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या–166 दिनांक 11.09.2025 द्वारा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2024 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ के पत्र सं0–925/नी–9–2025–1853096 दिनांक 09 मई, 2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 542 एवं 543 के अन्तर्गत पाण्डुलेख को मा० सदन द्वारा स्वीकार करते हुए आम जनमानस के आपत्ति एवं सुझाव के लिए प्रयागराज से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में कार्यालय पत्र सं०: डी०–551/ मु० क०नि०अधि०/2025 दिनांक 29.10.2025 के द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 30.10.2025 को प्रकाशित करायी गयी। सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अन्दर प्रस्तावित प्रयागराज नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2024 के सम्बन्ध में अपनी लिखित आपत्ति एवं सुझाव ऑफलाइन एवं ऑनलाइन नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज

कार्यालय में प्राप्त करवा सकते हैं, परन्तु कोई भी आपत्ति/सूझाव ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रयागराज नगर निगम में प्राप्त नहीं हुए।

अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 का प्रकाशन राजकीय गजट में किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रयागराज नगर निगम मा० सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या 166 दिनांक 11.09.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित दरें निम्नवत् हैं, जो सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

प्रयागराज नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन)

उपविधि, 2024

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—**(1)** यह उपविधि **प्रयागराज** नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम **प्रयागराज** में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ—**(1)** जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(ख) आबादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग) निर्धारण सूची का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा—207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा—213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ड़) सम्पत्ति का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों में से है।

(च) सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर जल कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।

3. निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण—**(1)** अधिनियम, 1959 की धारा—210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा—213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोदभूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा।

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा–

(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा।

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा।

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा।

(चार) पंजीकृत दान–पत्र द्वारा।

(पांच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी–

(एक) नगर निगम सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0 ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4. सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया–(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र– 1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेबसाइट पर प्रपत्र–2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू0 100•00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा–

क्र0 स0	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दानपत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ–पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय–विलेख या दानपत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	–	✓	–
5	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	–	–
6	मृत्यु प्रमाण पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	–	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	–	–	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	–
9	पूर्व में जारी नामान्तरण पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो।	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क **500 रू0 प्रतिमाह** के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम–6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप–3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

(ड़) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और संतोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार–पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ड़) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशाषी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाये जाने पर तद्नुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरो से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ड़) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उपलब्ध अभिलेखीय सामाग्री और गुण–दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बनधी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जाएगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनिमय, 1959 की धारा–2 के खण्ड (47) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर अध्यासी शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5. हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता–(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते ही, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नही किया गया हों तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क **500 रू0 प्रतिमाह** के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6. निर्धारण सूची के संशोधन/परविर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना–(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभार की दरें निम्नवत् होगी–

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होगीः–

क्र0 सं0	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
1	1000 तक	1000/–
2	1001–2000 तक	2000/–
3	2001–3000 तक	3000/–
4	3000 से अधिक	5000/–

(ख) नियम–3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी–

क्र0 सं0	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
1	रू0 5 लाख तक	1000/–
2	रू0 5 लाख से रू0 10 लाख तक	2000/–
3	रू0 10 लाख से रू0 15 लाख तक	3000/–
4	रू0 15 लाख से रू0 50 लाख तक	5000/–
5	रू0 50 लाख से ऊपर	10000/–

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1959 की धारा 92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम बोर्ड को स्वीकृति/अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हो और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम–(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरक्ति प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा।

7. आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण– जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से संतुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

7(क) नियम 7 के अन्तर्गत विहित जॉच एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विनिश्चय स्वयं अथवा अपने लिखित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी से करा सकता है।

8. अपील–नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 472 के अधीन **सक्षम न्यायालय में** अपील कर सकता है।

प्रपत्र–1

(नियम–4(1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना-प्रपत्र

1. भवन स्वामी/अध्यासी का नाम –
2. भवन संख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति –
3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य –
4. सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं0 –
5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल –
6. नव–निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल –
7. नव–निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि –
8. अध्यासन की तिथि –
9. अन्य विवरण–यदि कोई हो।

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

पता–

मोबाइल नं0–

प्रपत्र–2

(नियम–4(2) देखें)

निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता–

2. सम्पत्ति का विवरण–

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में–

(क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता

(ड़) हस्तान्तरण की प्रकृति–बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में–

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।

(ड़) आवेदक का मृत्तक से संबंध

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश

(छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)

(ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में–

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण

(ड़) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य

(च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी–उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण–

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण–

(1)	(2)	(3)	(4)

प्रपत्र–3

(नियम–4(2घ) देखें)

नोटिस

श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ..... निवासी ..... का नाम नगर निगम **प्रयागराज** की कर निर्धारण सूची में अंकित है।

2. (1) श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ..... निवासी ..... द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ..... की मृत्यु दिनांक ..... को हो गई है वह/वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में ..... प्रस्तुत किया गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

3. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो वह/वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित/प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर निगम, **प्रयागराज** के जोन संख्या ..... के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती है। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक/आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति आई0 डी0	सम्पत्ति संख्या	अवस्थिति

जारी करने की तिथि

मुहर

हस्ताक्षर
जारी करने वाले
अधिकारी का नाम
पदनाम सहित

नगर आयुक्त
नगर निगम प्रयागराज।

कार्यालय जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

अधिसूचना

02 जुलाई, 2025 ई0

सं0 जलकल/1760/उपविधि/2024-25–मा0 सदन की बैठक 26 दिसम्बर, 2024 में पारित प्रस्ताव संख्या-50 द्वारा जलकल विभाग द्वारा प्रस्तुत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए राज्य माडल उपविधि को सर्व सम्मति से पास किये जाने के अनुपालन में नगर निगम, कानपुर के अर्न्तगत **फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM)** के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर महापालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 एवं उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन

सिस्टम (सेप्टिक टैंक/किट/सोख्ता) के संग्रहण ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के सम्बन्ध में बनाई गई उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों/सामाजिक संस्थानों से प्राप्त आपत्ति/सुझाव 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान तथा अमर उजाला में दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः निम्न लिखित **''नगर निगम, कानपुर फीकल स्लज सेप्टेज** प्रबन्धन (**FSSM**) उपविधि 2024'' की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

क्षेत्र (स्कोप)–

ये उपविधि कानपुर नगर की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय कानपुर नगर भवनों पर लागू होगा।

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1– संक्षेप– शीर्षक, विस्तार और आरंभ–

(i)– इन उपविधियों को कानपुर नगर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2024' कहा जा सकता है।

(ii)– ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से कानपुर नगर क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2– परिभाषा–

"एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो।

"अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है।

"फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है।

"को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।

"विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) **प्रणाली"** का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

"नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गये किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

"डिस्लजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया।

"निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन।

"एफ्लूयंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)।

"फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री।

"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र।

"ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है।

"होस्ट यूएलबी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा।

"ईनसैनिटरी लेट्रिन्स" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

"लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है।

"लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान।

"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक /सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं।

"ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

"मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

"व्यक्ति" का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

"सैनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किये गये डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

"सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

"शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

"सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुये सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

"सीवेज" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

"सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

"सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

"सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

"निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गये कर्मचारी।

"परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

"उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

"उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

"यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

"निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

"कर्मी" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किये गये हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी

अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3– परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण– निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

1– यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।

2– अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

3– यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

4– वे परिपत्तियाँ जो परिसर के भीतर 2000 वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जायें ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जायें ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4– मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन– निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे,

1– उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव–

1– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा कानपुर नगर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

2– ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

3– परिसर का मालिक कानपुर नगर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

4– परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

5– परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या कानपुर नगर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

6– नियमों के पालन के लिए (निकाय का नाम) या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। कानपुर नगर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

7– कानपुर नगर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6– निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

1– कानपुर नगर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

2– कानपुर नगर अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

3– जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

4– कानपुर नगर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

5– इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– लाइसेंस जारी करने की शर्तें–

1– लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2(xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

2– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

3– कानपुर नगर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

4– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को कानपुर नगर के साथ पंजीकृत करेगा।

5– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिये गये मानदंडों को पूरा करते हैं।

6– आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि कानपुर नगर या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

7– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8– लाइसेंस के लिए आवेदन– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। कानपुर नगर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु कानपुर नगर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10– लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क– नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर कानपुर नगर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– पंजीकरण के शुल्क और वैधता–

1– ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,000.00

2– पंजीकरण की वैधता– पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 02 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

3– लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,000.00

11– लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन– कानपुर नगर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेससुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12– जागरुकता अभियान– इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु कानपुर नगर द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जाएगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13– संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा।

1– भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए कानपुर नगर के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

2– मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

(i)– समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii)– शहर में जब कभी कानपुर नगर द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे कानपुर नगर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(iii)– लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

(i)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या कानपुर नगर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ii)– आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

(iii)– डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर कानपुर नगर द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

(iv)– ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और कानपुर नगर वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(v)– वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार [नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी] और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– ढुलाई के दौरान सावधानी– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18– दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के

नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किये जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण–

(i)– लाइसेंसधारी ऑपरेटर कानपुर नगर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii)– लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii)– होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21– निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार–

(i)– निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।

(ii)– कानपुर नगर होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किये गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii)– (निकाय का नाम), वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

(iv)– संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण कानपुर नगर द्वारा किया जाएगा।

(v)– होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi)– एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य–

(i)– निकाय या ग्राम पंचायत [जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम] होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii)– निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii)– यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv)– कानपुर नगर विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v)– होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi)– यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो कानपुर नगर को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23– कर्मियों का प्रशिक्षण– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24– कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25– बीमा– लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26– लाइसेंस रदद् किया जाना– इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27– उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान–

(i)– कानपुर नगर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या कानपुर नगर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

(ii)– उपचार सुविधा के अभाव में कानपुर नगर आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

(iii)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु (निकाय का नाम) के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण– (निकाय का नाम) जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति–

(i)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए कानपुर नगर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी]

(ii)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं]

30– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय– [निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी)] द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर कानपुर नगर (या होस्ट यूएलबी लागू हो), द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31– औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32– फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण– कानपुर नगर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33– उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल– निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

34– प्रशासन और प्रवर्तन–

(i)– इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii)– कानपुर नगर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए,उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(iii)– कानपुर नगर शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो कानपुर नगर प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv)– कानपुर नगर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जेन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35– जांच के लिए विशेष शक्ति– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, कानपुर नगर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36– नियम उल्लंघन और जुर्माना–

(i)– इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

(ii)– किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii)– इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्तिथि में एफ0 एस0 एस0 निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv)– जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर कानपुर नगर द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

(v)– संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37– अपील– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38– विवाद समाधान उपविधि– इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर कानपुर नगर के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39– फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40– संदर्भ प्रलेख– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41– डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42– उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देंखे)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन– सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बी0आई0एस0 कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1,] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड

प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एम0ओ0एच0यू0ए0 के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओ0एस0एस0 पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाईलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन–

- आयताकार– लंबाई और चौड़ाई का अनुपात– 2 से 4
- गहराई– 1.0 से 2.5 मी0 के बीच
- दो कक्ष– पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- तीन कक्ष– पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार–

उपयोग कर्ता की सं0	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अन्तराल)
1	2	3	4
	मीटर–	मीटर–	मीटर– दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2– फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत– सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल भाग-ए, इंजीनियरिंग। सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता– टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु है–

- अवसादन (सेडीमेंटेशन)– निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन– डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भंडारणः फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता 0.0002x365 =0.073 $m3/$कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्ड– कम से कम 0.3 मी0

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन

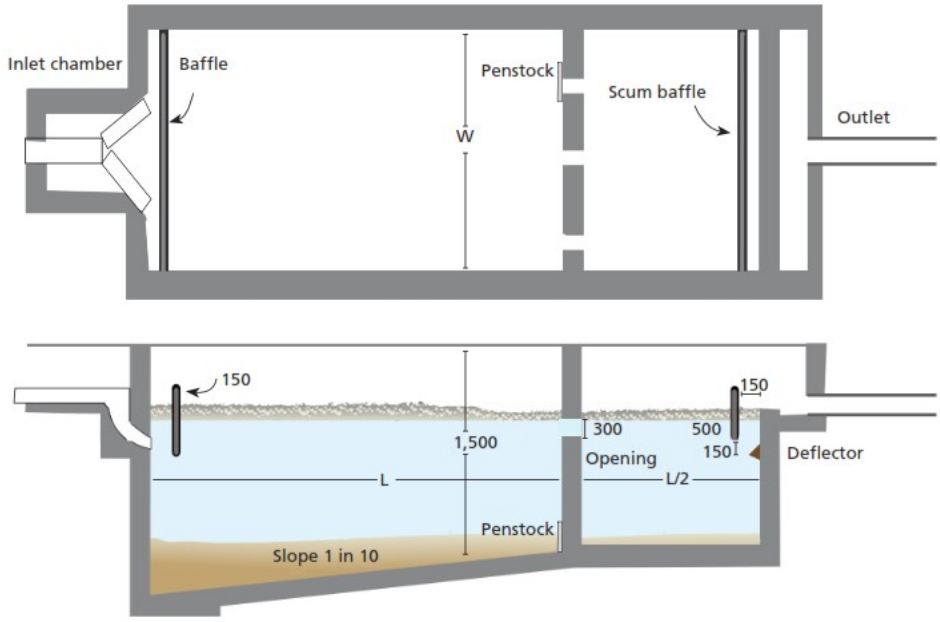

All measurements in millimetres (mm)
Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment—Part A: Engineering. CPHEEO, 2012

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखे)

कानपुर नगर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र0 सं0	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये–
1.	कच्चाघर / झोंपड़ी	350–450
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750–850
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1,200–1,700
4.	दुकान	1,500–1,800
5.	सभी सरकारी / निजी कार्यालय	1,800–2,200
6.	बैंक	2,000–2,500
7.	सामुदायिक शौचालय / सार्वजनिक शौचालय	800–1,200
8.	रेस्टोरेंट	2,000–2,500
9.	होटल / गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2,000–2,500
10.	होटल / गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,500–2,800
11.	होटल / गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,000–3,200
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1,200–1,600
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1,800–2,200

1	2	3
		रुपये–
14.	3-स्टार होटल	2,800–3,000
15.	5-स्टार होटल	3,500–4,000
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,000–1,200
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1,200–1,500
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,800–2,000
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2,500–3,000
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1,800–2,000
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,800–3,000
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,500–3,000
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3,500–4,000
24.	मल्टीप्लेक्स	2,000–2,500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1,800–2,200
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,200–2,500
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2,500–2,800
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,000–3,200
29.	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	2,500–3,500
30.	बार	2,500–3,000
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1,800–2,500
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2,800–3,000
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1,800–2,000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,200–2,500
35.	पैथोलॉजिकल लैब	1,500–2,000
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,500–2,800
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2,500–3,000
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3,500–4,000
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2,000–2,500
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,000–4,000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2,000–2,500

स्रोत– सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खण्ड-7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण–

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए–

1– शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं।

2– शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट।

3– सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

4– सेफ्टी टॉर्च

5– भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

6– संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

7– टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है

8– दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।

9– आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट Q

10– गैस मॉनीटर

11– हेड लैंप

12– गाइड पाइप सेट

13– सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

14– वेडर बूट

15– एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

16– मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

17– रेनकोट।

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर निगम कानपुर

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

फॉर्म 1– निकाय कानपुर नगर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र

1– आवेदक का नाम (श्री/सुश्री): .....

2– पताः .....

3– पंजीकृत कार्यालय का पता .....

.....

4– टेलीफोन नंबरः (कार्यालय) ..... (मो0) .....

ईमेल आईडी :.....

6– **12**

संख्या	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

7– लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण–

नकद _____(रसीद संख्या)

8– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)

दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नही	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नही	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नही
1	2	3	4	5	6
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण–पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण पत्र	
प्रदूषण प्रमाण–पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवदेक के हस्ताक्षर

दिनांक–.....

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर प्रातः से सायं तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खण्ड 6 (V) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर निगम कानपुर

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

फॉर्म 2– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय (निकाय का नाम) फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है–

1– आवेदक का नामः (श्री/सुश्री):.....

2– पत्राचार का पताः.....

3– निकाय (नगर निगम) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्याः.....

4– **मान्यता** .....से ..... तक

5– वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबरः (i) ..... (ii) ..... (iii) ..... (iv) ..... लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर प्रातः से सायं तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खण्ड 13(ii), 20(ii) देंखे)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

कानपुर नगर में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक.....समय.....

1– ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण–

नाम.....

पता.....

(क)– वार्ड सं0.....

(ख)– टेलीफोन नं0.....

2– रोकथाम–

1 निर्माण का वर्ष.....

2 पिछला कीचड निकालना (MM/YYYY).....

3 आउटलेट मौजूद (हां/नही).....

4 यदि हां तो किससे जुडा है.....

5 रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुने)

रोकथाम के प्रकार	सही करे	रोकथाम के प्रकार	सही करे
1	2	3	4
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्विन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गडढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (आनलाइन)	

6– रोकथाम का आकार और आकारःनियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करे

7– संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
1	2	3	4
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

3– कीचड़ साफ करना–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर).....

2– कीचड निकालने में लगने वाला समय.....

3– ट्रिप की लम्बाई (किमी).....

4– आने-जाने में समय .....

4– कीचड साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण–

आपरेटर का नाम.....

डयूटी पर खाली स्टाफ (F.S.S.T.P.) ऑपरेटर.....

डयूटी पर टेक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर **उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर**

परिशिष्ट-7

(खण्ड 21(i) और 27(ii) देखे)

होस्ट यू0एल0बी0 तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप–

फॉर्म 4– "होस्ट यू0एल0बी0" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय नगर निगम और होस्ट निकाय कानपुर नगर के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एव सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्स वाई जेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए,''होस्ट यू0एल0बी0''(होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत ''उपचार संयंत्र'' पर, समझौता।

प्रथम पक्ष ''होस्ट यू0एल0बी0'' (होस्ट निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष ''एक्सवायजेड यू0एल0बी0''(संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध–

1– यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2– "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 xxx देने के लिए सहमत है।

4– यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्द पूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6– कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंस धारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंस धारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट–8

जुर्माना और फाइन

क्र0 सं0	विवरण	खण्ड संख्या	सांकेतिक फाईन सीमा	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रुपये–	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100–150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50–100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1,000–1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000–1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000–10,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000–10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000–1,500 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500–2,000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

नोट– जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यू0एल0बी0 जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देंखे)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास

.....(पदनाम)

1– आवेदक का पूरा नाम.....

2– आवेदक का पूरा पता.....

3– नगर पालिका अधिकारी का विवरण, जिसके आदेश के विरूद्व अपील की गई–

नाम.....पद.....

4– उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरूद्व अपील की गई–

5– अपील दायर करने की तारीख.....

6– सूचना विवरण

(क)– संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्व अपील की गई है, उसकी प्रति संलग्न करें) .....

(ख)– अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है) .....

.....

सत्यापन

मैं, ...(अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी..... एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....तिथि.....

अनुसंलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख–

1.....

2.....

यहाँ फाडे.....

पावती

संख्या.....तिथि.....

अनुसंलग्क फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन.....

स्थान.....तिथि.....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

परिशिष्ट–10

(खण्ड 40 देंखे)

संदर्भित दस्तावेज–

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है–

1– उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916

2– उत्तर प्रदेश, सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार।

3– बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4– सलाहकार नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5– उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार।

6– एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

7– आईएसः 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,

(क) (भाग-I) डिजाइन शर्तें और निर्माण।

(ख) (भाग-II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8– सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9– बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट, नई दिल्ली।

10– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल।

13– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14– तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15– सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16– सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

17– फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली।

18– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम मंजू यादव (Manju Yadav) पुत्री स्व0 छोटे लाल यादव पत्नी अशोक कुमार यादव है, जो पैन कार्ड, एवं आधार कार्ड (सं0 6540 3585 2257) में अंकित है, त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं मंजू यादव और कहीं पर मंजू अंकित हो गया है। जबकि उनका सही नाम मंजू यादव है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक कुमार यादव,
(पत्नी मंजू यादव)
निवासी–23/47/34 किदवई नगर,
अल्लापुर, निकट मद्रास होटल,
जनपद इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुमन पत्नी स्व0 अनिल कुमार कुरील है जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0–238195888 में मेरा नाम बबली अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुमन पत्नी स्व0 अनिल कुमार कुरील के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुमन पत्नी स्व0 अनिल कुमार कुरील,
निवासिनी– 6 ब्लाक कच्ची बस्ती,
गोविन्द नगर कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम छाया श्रीवास्तव पुत्री इकबाल नारायन श्रीवास्तव पत्नी स्व0 उमेशचन्द्र श्रीवास्तव है। जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0– 233685890 में मेरा नाम करूणा श्रीवास्तव अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम छाया श्रीवास्तव पुत्री इकबाल नारायन श्रीवास्तव पत्नी स्व0 उमेशचन्द्र श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

छाया श्रीवास्तव,
पुत्री इकबाल नारायन श्रीवास्तव,
पत्नी स्व0 उमेशचन्द्र श्रीवास्तव,
निवासिनी– डी064/52सी पेप्सी,
एजेंन्सी सिगरा, चित्तूपुर, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनामिका कमल पुत्री जयलाल कमल है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0–233011428 में मेरा नाम कु0 निशा देवी अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनामिका कमल पुत्री जयलाल कमल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनामिका कमल पुत्री जयलाल कमल,
निवासी– वार्ड नं0 2 आलमचन्द्रपुर,
कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी एवं पिता जी का शुद्ध नाम मोमिना बेगम एवं शफीक अहमद है। जो उनके आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल सह अंक पत्र (अनुक्रमांक सं0–5020665 वर्ष 2018) तथा इण्टरमीडिएट (अनुक्रमांक

सं0–23714350 वर्ष 2021) में मेरी माता जी का नाम परवीन बेगम और पिता जी का नाम शफीक्यू अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

मो0 इब्राहिम पुत्र शफीक अहमद,
निवासी– ग्राम कुसुवा मनौरी,
तहसील सदर जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम बेबी शाइन्दा (BABY SHAINDA D/o MOHD SHAMIM W/o SARFARAJ AHMED) है जो कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं पर (BABY SHAINDA KUMARI SHAINDA, SMT SHAINDA) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

सरफराज अहमद,
B-1071/4 करेली जी0टी0बी0 नगर,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम कु0 तरन्नुम फातमा (KM TARANNUM FATMA) पुत्री नसीम अहमद (NASEEM AHMAD) है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरा आधार कार्ड सं0–8925 4112 8707 में मेरा नाम तरन्नुम फातीमा (TARNNUM FATEEM) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरें सही नाम कु0 तरन्नुम फातमा (KM TARANNUM FATMA) पुत्री नसीम अहमद (NASEEM AHMAD) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

कु0 तरन्नुम फातमा(KM TARANNUM FATMA)
पुत्री नसीम अहमद (NASEEM AHMAD),
निवासी– ई0डब्लूएस0 30 कसारी मसारी,
चकिया जी0टी0बी0 नगर, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सीता देवी पत्नी राज नारायण सिंह है जो कि उपजिलाधिकारी, के जॉच आख्या, परिवार रजिस्टर, खतौनी, विद्युत कनेक्शन, खसरा नगर निगम, निवास प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–2056 1272 2626 में मेरा नाम सुशीला पत्नी राज नारायण हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सीता देवी पत्नी राज नारायण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

सीता देवी,
पत्नी राजनारायण सिंह,
ग्राम शाहपुर कला पो0 इसोता,
तहसील मेजा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रूहान खान पुत्र उस्मान खान है। जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय पहचान पत्र एवं विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7845 2568 2848 में नाम मो0 रूहान अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रूहान खान पुत्र उस्मान खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

उस्मान खान, पुत्र अब्दुल रहमान,
निवासी–63 बी0 गदीयाना नई बस्ती,
मदरसा, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजू ओमर पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0–233760472 में मेरा नाम सूर्य नारायन गुप्ता अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजू ओमर पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

राजू ओमर पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता,
निवासी–223/266 आनंद नगर,
नियर शिवम कान्वेंट स्कूल,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कौशर जहॉ पत्नी स्व0 अफताब आलम है। जो मेरे पैन कार्ड आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0–235423636 में मेरा नाम कैशर जहॉ अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कौशर जहॉ पत्नी स्व0 अफताब आलम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

कौशर जहॉ पत्नी स्व0 अफताब आलम,
निवासिनी– 4.बी0 बाबा मदार नगर,
मछरिया नौबस्ता कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र श्रेयांश यादव के स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टि0सी0) में मेरा नाम नरेन्द्र यादव अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेखों में सही नाम नरेन्द्र सिंह यादव के नाम से लिखा जावे।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

नरेन्द्र सिंह यादव,
पुत्र श्री किशन लाल यादव,
निवासी–128/174 एच0 2 ब्लाक,
किदवई नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रिहित कुमार वर्मा पुत्र रमेश कुमार वर्मा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–2869 5170 9848 में मेरा नाम रोहित वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रिहित कुमार वर्मा पुत्र रमेश कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

रिहित कुमार वर्मा,
नि0 विसेना धनजई पो0 केशवपुर,
तहसील व जिला सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संजय पुत्र राम प्रकाश यादव जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 235590289 मे मेरा नाम संजीव कुमार यादव अंकित हो

गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संजय पुत्र राम प्रकाश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजय पुत्र राम प्रकाश यादव,
निवासी– 126 लेवामऊ कानपुर देहात,
अकबरपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सैन्डली कुमारी (Saindali Kumari) पुत्री सन्तोष कुमार है जो कि मेरी शैक्षिक अभिलेखों मे भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 6371 5301 4484 में मेरा नाम संदली (Sandli) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरा सही नाम सैन्डली कुमारी (Saindali Kumari) पुत्री सन्तोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सैन्डली कुमारी,
निवासी– ग्राम व पोस्ट भकन्दा उपरहार,
तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रूद्र नारायण पुत्र राम सेवक मिश्र है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 7342 5784 6295 में मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा अंकित हो गया है, जो कि गलत है । भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रूद्र नारायण पुत्र राम सेवक मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रूद्र नारायण
निवासी–ग्राम घरवन का पूरा,
पोस्ट पूरबनारा, तहसील सोरॉव,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दिपांशु पाल पुत्री शिवकुमार पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4927 2678 4278 में उसका नाम प्रियांशु पाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दिपांशु पाल पुत्री शिवकुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिव कुमार पाल,
पुत्र स्व0 रामधनी पाल,
निवासी– बघेड़ा खुर्द, पोस्ट–कुशहां,
जिला–मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदिल पुत्र उल्फत अली (ADIL S/o Ulphat Ali) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9158 9010 9850 में मेरा नाम आदिल हुसैन हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदिल पुत्र उल्फत अली (ADIL S/o Ulphat Ali) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आदिल पुत्र उल्फत अली,
निवासी उसकी मेजा,
प्रयागराज ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा और मेरी पत्नी का सही नाम राजेश चौरसिया (RAJESH CHOURASIYA) पुत्र श्यामलाल चौरसिया व मेरी पत्नी का नाम संगीता चौरसिया (SANGITA CHAURASIYA) पत्नी राजेश चौरसिया है जो कि मेरे आधार कार्ड नं0–6268 9592 6909 व मेरी पत्नी के आधार कार्ड नं0–2403 9974 4199 व पैन कार्ड नं0–AVVPC2834N व मेरा पैन कार्ड नं0–AVFPC9256J पर अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री अदिति चौरसिया के हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र संख्या–23261544 में राजेश

(RAJESH), पत्नी का नाम संगीता (SANGEETA) अंकित हो गया है। जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेश चौरसिया,
पुत्र श्याम लाल चौरसिया,
पता– पी0एन0वी0 के पास, केवटान,
कछवॉ मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लज्जावती पुत्री स्व० परमात्मा प्रसाद श्रीवास्तव है, जो की मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5935 8454 6693 में मेरा नाम लज्जा श्रीवास्तव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लज्जावती पत्नी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव पुत्री स्व० परमात्मा प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से जाना और पहचाना जायें।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लज्जावती,
निवासी– 133/K/5/8 न्यू बेनीगंज,
जी0टी0बी0 नगर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नम्या द्विवेदी पुत्री देवदत्त द्विवेदी है जो कि उसने शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9295 8271 5464 में उसका नाम देविका अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नम्या द्विवेदी पुत्री देवदत्त द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये ।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

देवदत्त द्विवेदी
ग्राम कालूराम का पुखा मजरा,सेसा सुबकरा,
मुस्तकिल मऊ चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम युग सिंह पुत्र आयुष सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7745 7022 2024 में उसका नाम कान्हा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम युग सिंह पुत्र आयुष सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आयुष सिंह, पुत्र मनोज सिंह,
पता– चन्दईपुर, थाना कोतवाली देहात,
ब्लाक सीटी, जिला मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो0 आबिद (MO ABID) है जो मेरे शैक्षिणिक अभिलेख में हाईस्कूल की मार्कशीट में भी अकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 6776 2706 9544 में मेरा नाम मो0 आबिद (MOHOD ABID) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हाईस्कूल मार्कशीट के अनुसार मो0 आबिद (MO ABID) पुत्र गुल मोहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मो0 आबिद, पुत्र गुल मोहम्मद,
निवासी नई बस्ती बालकराम पुरवा,
तहसील व पो0 करनैलगंज गोण्डा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रोशनी सिंह (Roshani Singh) पुत्री संजय प्रताप सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0– 6467 4498 1468 में उसका नाम वर्तिका सिंह अंकित हो गया

है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रोशनी सिंह (Roshani Singh) पुत्री संजय प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रंजना सिंह, पत्नी संजय प्रताप सिंह,
नि0– महुवारी पुरवा चकिया नैनी,
तालुका खुर्द प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंजली यादव (ANJALI YADAV) पुत्री रविन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0– 3501 8362 9779 में उसका नाम आराध्या (AARADHYA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंजली यादव पुत्री रविन्द्र कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रविन्द्र कुमार,
पता– ग्राम जैनपुर, पोस्ट चौबिया,
जिला इटावा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पूजा उपाध्याय पुत्री श्री अवधेश उपाध्याय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड में अंकित है। मेरे आधार कार्ड सं0–7258 6591 8281 में मेरा नाम पूजा दुबे पुत्री अवधेश उपाध्याय हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझें मेरे सही नाम पूजा उपाध्याय पुत्री श्री अवधेश उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पूजा उपाध्याय पुत्री श्री अवधेश उपाध्याय,
पता– 244, मैनपुरी फाटक,
शान्ती कॉलोनी, इटावा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हुसना बानो (HUSNA BANO) पत्नी नूर मोहम्मद है जो मेरे निर्वाचन कार्ड निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, नगर पालिका हाउस टैक्स रसीद तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7022 7750 0794 में मेरा नाम मुन्नी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हुसना बानो पत्नी नूर मोहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

हुसना बानो, पत्नी नूर मोहम्मद,
निवासी– मं0 नं0 17/12 कासिम नगर,
उन्नाव, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या दूबे (Aradhya Dubey) पुत्री अंकित है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड सं0–8820 3926 1344 में अंकित है। मैने अपने पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार उसका नाम आराध्या दूबे से बदल कर भाविका दूबे (Bhavika Dubey) पुत्री अंकित रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को भाविका दुबे (Bhavika Dubey) पुत्री अंकित के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दीपिका दुबे पत्नी अंकित,
निवासी– अकबरपुर सराय घाघ,
अकवारपुर, माजार चौधरी, मकरंद नगर,
कन्नौज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स मरूधारा पोली पैक इण्डस्ट्रीज, सी–34, सैक्टर–2, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर–201301 की साझीदारीनामा दिनांक

12 मार्च, 1984 के अनुसार श्रीमती अयोध्या देवी पुरोहित, श्रीमती अचला आर पुरोहित, श्री राम कृष्ण पुरोहित एवं श्री कंवर लाल पुरोहित साझीदार थे। दिनांक 15 जून, 2007 को फर्म की साझीदार श्रीमती अयोध्या देवी पुरोहित एवं दिनांक 21 अप्रैल, 2021 को फर्म की साझीदार श्रीमती अचला आर पुरोहित का स्वर्गवास होने के पश्चात संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 21 अप्रैल, 2021 के अनुसार श्री रामकृष्ण पुरोहित एवं श्री कंवर लाल पुरोहित साझीदार थे। दिनांक 06 मई, 2025 को फर्म की साझीदारी से साझीदार श्री कंवर लाल पुरोहित अपना हिसाब–किताब ले देकर अलग हो गये। दिनांक 06 मई, 2025 के पश्चात् फर्म श्री रामकृष्ण पुरोहित की प्रोपराईटरशिप में संचालित है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 15 जून, 2007 के अनुसार प्रोपराईटर श्री राम कृष्ण पुरोहित का निवास स्थान ए–6, सैक्टर–34, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर हो गया है।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम कृष्ण पुरोहित,
प्रोपराईटर,
मैसर्स मरूधारा पोली पैक इण्डस्ट्रीज,
सी–34, सैक्टर–2, नोएडा,
जिला–गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म कार्तिकेय एसोसिएट्स, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ (उ०प्र०) में पूर्व में निम्नलिखित साझेदार थे–

(1) राजकुमार सिंह, पुत्र श्री नागेंद्र बहादुर सिंह, निवासी बीदं, मुजाही बाजार, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ एवं

(2) विकास सिंह, पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह, निवासी– टिकरी, जनपद प्रतापगढ़।

यह सूचित किया जाता है कि फर्म के साझेदार श्री विकास सिंह, पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह, दिनांक 21 नवम्बर, 2025 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा फर्म के साथ उनका किसी प्रकार का कोई लेन–देन अथवा देनदारी शेष नहीं है।

साथ ही दिनांक 21 नवम्बर, 2025 से श्रीमती दीपिका सिंह, पत्नी श्री राजकुमार सिंह, फर्म में नई साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं।

अतः दिनांक 21 नवम्बर, 2025 से फर्म कार्तिकेय एसोसिएट्स के वर्तमान साझेदार–

(1) राजकुमार सिंह एवं (2) दिपिका सिंह है, जिनकी हिस्सेदारी फर्म में 50–50 प्रतिशत है।

राजकुमार सिंह,
साझेदार,
कार्तिकेय एसोसिएट्स,
पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम–सवी सिन्हा पुत्री सलिल कुमार सिन्हा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–9233 1841 4932 में उसका नाम प्रिषा सिन्हा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सवी सिन्हा पुत्री सलिल कुमार सिन्हा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सलिल कुमार सिन्हा, पुत्र गोपाल कृष्ण सिन्हा,
पता–एफ 182 सेक्टर 5, यू0पी0एस0आई0
डी0सी0 कॉलोनी, मजरे कठौरा,
औ०क्षे०–जगदीशपुर,तह०–मु०खाना,
जनपद-अमेठी उ०प्र०।

सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदिल खान (उम्र बालिग) पुत्र मो० एजाज खान है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9169 8732 9673 में मेरा नाम–ख्वाजा अल्तमश एजाज खान हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मेरा सही नाम–आदिल खान पुत्र मो० एजाज खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आदिल खान, पुत्र मो0 एजाज खान,
निवासी–डी0पी0/0346, देवा रोड, अस्करी नगर,
दुर्गापुरी, नवाबगंज जनपद बाराबंकी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विन्ध्यवासिनी (VINDHYAVASINI) पुत्र कृष्ण कान्त है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5264 1718 2044 में मेरा नाम विन्ध्यवासिनी (VIDHYAVASINI) पुत्र कृष्ण कान्त अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विन्ध्यवासिनी (VINDHYAVASINI) पुत्र कृष्ण कान्त के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विन्ध्यवासिनी,
ग्राम सुबावराजा, पोस्ट कनोखर,
तहसील–लालगंज, जिला मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स हैरीटेज एन्टरप्राईजेज, सी–30/6, सैक्टर–62, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर–201301 की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 25 जून, 2001 के अनुसार फर्म में साझीदार श्री वीरेन्द्र गुप्ता एवं श्री लक्ष्मण दास आहुजा थे। दिनांक 14 जनवरी, 2026 की विघटित साझीदारीनामा के अनुसार दोनों साझीदारों श्री वीरेन्द्र गुप्ता एवं श्री लक्ष्मण दास आहुजा की आपसी सहमति से फर्म की साझीदारी को विघटित कर दिया गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता नही है। यदि पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी हम साझीदारों की संयुक्त रूप से होगी।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विरेन्द्र गुप्ता,
साझीदार,
मैसर्स हैरीटेज एन्टरप्राईजेज, सी–30/6,
सैक्टर–62, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुषमा इण्डस्ट्रीज आर/ओ जी–16 इंडस्ट्रियल एरिया बस्ती जिला बस्ती, उ०प्र० में साझेदारी डीड दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 से श्रीमती सुषमा तिवारी एवं श्री हरीश चन्द्र शुक्ला जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण संख्या–G–4022 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म की साझेदार श्रीमती सुषमा तिवारी अपना हक व हिस्सा लेकर उक्त फर्म से रिटायर्ड हो गयी है। यह कि साझेदारो की सहमती से उक्त फर्म का समापन विघटन डीड दिनांक 16 जनवरी, 2026 से कर दिया गया है। यह की उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं हैं।

हरीश चन्द्र शुक्ला,
मेसर्स सुषमा इण्डस्ट्रीज,
आर/ओ जी–16 इंडस्ट्रियल एरिया,
बस्ती जिला बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स नैमिष इन्टरप्राइजेज, रामनगर, अपोजिट इन्कम टैक्स ऑफिस जिला–सीतापुर 261001 की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म की साझेदारी में अभी तक 04 साझेदार श्री दिलीप कुमार, श्रीमती मीरा साहू, श्री सुनील साहू एवं श्री सन्तोष कुमार साझेदार थे, जिसमें दिनांक 09 फरवरी, 2026 फर्म के प्रथम साझेदार श्री दिलीप कुमार फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक अलग हो गये है। वर्तमान में क्रमशः श्री सन्तोष कुमार, श्रीमती मीरा साहू एवं श्री सुनील साहू फर्म में साझेदार है।

सन्तोष कुमार,
साझेदार,
नैमिष इन्टरप्राइजेज जिला–सीतापर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सूर्या प्रसाद पुत्री जगदीश प्रसाद है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 8526 5667 0717 में, मेरा नाम सिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य मे मुझे मेरे सही नाम सूर्या प्रसाद पुत्री जगदीश प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सिया, पुत्री जगदीश प्रसाद,
निवासी– 11, रिंग रोड, जगरानी अस्पताल,
कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अश्वनी पाल (ASHWANI PAL) पुत्र विक्रम पाल है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0– 6188 4578 7296 में मेरा नाम अश्विन पाल (ASHWIN PAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अश्वनी पाल (ASHWANI PAL) पुत्र विक्रम पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अश्वनी पाल पुत्र विक्रम पाल,
निवासी–भिखारी का पुरवा, मजरा कौड़िया,
चरवा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृष्ण मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश है तथा अंग्रेजी में KRISHAN MOHAN GARG S/O OM PRAKASH है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9794 9424 4860 में मेरा नाम कृष्ण मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश गर्ग अंकित हो गया है जो कि स्पेलिंग फिकसेस (Spelling-fixes) के कारण गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृष्ण मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश KRISHAN MOHAN GARG S/O OM PRAKASH के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृष्ण मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश,
KRISHAN MOHAN GARG S/O OM PRAKASH
नि0– M.I.G.- 12, NEW ADA COLONY,
(NEAR T.V. TOWER),
PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH.

पी0एस0यू0पी0–47 हिन्दी गजट–भाग 8–2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।